मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम

सत्र 2011–2012

1.	शासकीय **(Government)** क्षेत्र के अंतर्गत (अ) मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 1–8
2.	निजी **(Private)** क्षेत्र के अंतर्गत (अ) निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 9–16
3.	परिशिष्ट–एक : पाठ्यक्रमों की समतुल्यता	पृष्ठ 17–19
4.	परिशिष्ट–दो : पोलीटेकनिक संस्थाएं एवं सीटों की संख्या	पृष्ठ 20–24
5.	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 25–35

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

अध्याय–1

लेटरल एन्ट्री (आई.टी.आई. से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्त्तीण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष / तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

सत्र : 2011–2012 (पाठ्यक्रम संचालन जनवरी 2012 से)

1.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्त्तीण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष / तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे ।

1.2 परिभाषाएंः–

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः –

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. ''OP'' सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी.
10. ''F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.

11. ''म.प्र सीट'' से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के आरक्षित सीटें

1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

1.4 प्रवेश नियम–

1.4.1 उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के गतवर्ष की प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे। ये सीटें केवल मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध होंगी।

1.4.2 सीटों का आरक्षण :

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टीपः–

(अ)विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब)जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

1.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप–1 अथवा प्रारूप –2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें ।)

1.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :–

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप–3 (अ) अथवा प्रारूप– 3 (ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र 1 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

1.4.2.3 महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षणः

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड'' क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा ।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें ।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी ।

1.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

1.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष मे लेटर ऐन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ–साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड (परिशिष्ट–एक में दिये अनुसार) में दो वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

1.5.4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उर्त्तीण ऐसे छात्र/छात्राओं के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो तथा उसमें स्वर्ण पदक पाया हो तो उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम में जितने भी अंक प्राप्त किये हो उसके 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर उसका मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एंव युवक कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणीः—प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा उत्तीर्ण औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके संबंधित डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता परिशिष्ट—एक के अनुसार मान्य होगी।

1.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं :

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी को पात्रता होगी:

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप—7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण—पत्र (प्रारुप—8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :—

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप—9 में) ,

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप—10 में) ,

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप—11 में) ,

स्पष्टीकरण—1 अभिभावक :—

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो , ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगी।

1.6 प्रवेश की रीति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणीः–

1.एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2.ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.8 सामान्य जानकारियांः

1.8.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित अर्हकारी परीक्षा के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के प्राप्तांको के आधार पर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

1.8.2 समस्त प्रवेश एकीकृत मेरिट सूची से काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश–पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

1.8.3 मूल प्रमाण–पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे । तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है ।

1.8.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी, जो परिशिष्ट में दर्शायी गयी है।

1.8.6 गंभीर बीमारी : यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिये विभाग सक्षम होगा ।

1.9 प्रवेश का क्रम :–

1.9.1 *मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों* के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम

से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति..

1.9.2 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

1.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

1.10 प्रवेश रद्द करना :—

(1) यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तत्थों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शिक्षण शुल्क की अग्रिम राशि में से ₹ 1000/— की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी । तथापि परामर्श (काउन्सलिंग)

फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :–
राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

1.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक उपसत्र (जनवरी से जून) में रेमेडियल विषयों का अध्ययन करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

1.15 क्षेत्राधिकार–
किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

अध्याय–2

लेटरल एन्ट्री (आईटीई से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु)

मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के नियम

सत्र 2011– 2012 (पाठ्यक्रम संचालन जनवरी 2012 से)

2.1 सामान्य :

ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री प्रवेश नियम कहलायेंगे एवं ''प्रवेश नियम–2008'' अनुसार प्रभावी होंगे ।

2.2 परिभाषाएं:–

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. **''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति''** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति

10. "पाठयक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस,बीडीएस आदि)

11. ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार

12. ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित नहीं है;

13. ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है

14. ''**एकल खिड़की प्रणाली**'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं

15. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

2.3 ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को` डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

2.4 प्रवेश नियम–

2.4.1 उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के गतवर्ष की प्रवेश क्षमता के अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें अधिसंख्य आधार पर लेटरल एन्ट्री योजनान्तर्गत तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे।

2.4.2 सीटों का आरक्षण :

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए

शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टीपः–

(अ)विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब)जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

2.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप–1 अथवा प्रारूप–2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें ।)

2.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :–

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप–3(अ) अथवा प्रारूप–3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र 1 अप्रैल 2009 के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

2.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी ।

2.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2.5.3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष मे लेटरल ऐन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ–साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड (परिशिष्ट–एक में दिये अनुसार) में दो वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2.5.4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीण ऐसे छात्र/छात्राओं के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो तथा उसमें स्वर्ण पदक पाया हो तो उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रम में जितने भी अंक प्राप्त किये हो उसके 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर

उसका मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। अभ्यर्थी को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र संचालक, खेल एंव युवक कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणीः–प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा उत्तीर्ण औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था के पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके संबंधित डिप्लोमा ब्रांच में प्रवेश हेतु पात्रता परिशिष्ट–एक के अनुसार मान्य होगी।

2.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं :

मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह :–

1. भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–7 में) ,

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (प्रारुप–8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारुप–9 में) ,

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–10 में) ,

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारुप–11 में) ,

स्पष्टीकरण–1 अभिभावक :–

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/ नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध

में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो , ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगी।

2.6 प्रवेश की रीति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अर्हता के आधार पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।

अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर एकीकृत योग्यता क्रम सूचियॉ (Common Merit Lists), के साथ–साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) श्रेणियों के लिये अलग–अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणीः–

1.एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2.ऐसे अभ्यर्थी को जो खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक के कारण 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस अभ्यर्थी से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.8 सामान्य जानकारियांः

2.8.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित अर्हकारी परीक्षा के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के प्राप्तांको के आधार पर तैयार की गई मैरिट के आधार पर किये जावेंगे।

2.8.2 समस्त प्रवेश एकीकृत मेरिट सूची से काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (www.dtempcounselling.org) पर उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश–पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

2.8.3 मूल प्रमाण–पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे । तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है ।

2.8.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.5 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी, जो परिशिष्ट में दर्शायी गयी है।

2.8.6 गंभीर बीमारी : यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिये विभाग सक्षम होगा ।

2.9 प्रवेश का क्रम :—

2.9.1 *मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों* के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित क्रम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति..

2.9.2 आरक्षित प्रवर्गो के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी.

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

2.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

2.10 प्रवेश रद्द करना :—

(1) यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तत्थों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी अपना प्रवेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक रद्द करवाता है तो अभ्यर्थी द्वारा संस्था में जमा की गई शिक्षण शुल्क की अग्रिम राशि में से ₹ 1000/– की कटौती कर, शेष समस्त राशि वापिस कर दी जाएगी । तथापि परामर्श (काउन्सलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी । अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :–
राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

2.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

2.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.14 लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक उपसत्र (जनवरी से जून) में रेमेडियल विषयों का अध्ययन करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

2.15 क्षेत्राधिकार–
किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट
www.dtempcounselling.org / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी

परिशिष्ट–एक

List of Trades in ITIs & ITCs &Corresponding Courses/Branches of Polytechnics Colleges in which the candidate shall be entitled to take admission in Third semester after passing the ITI examination

Sl. No	Trades in ITIs & ITCs			Course/Branch in Polytechnics	
	Name of the Trade	**Duration**	**Entry Qualification**	**Course/Branch**	**Duration**
1	Draughtsman (Civil)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	Civil Engg.	3 Years
2	Surveyor	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent.	Civil Engg.	3 Years
3	Mechanic Computer Hardware	2 years	Passed 10+2 or Intermediate or Pre-university with Physics as one of the subject.	Computer Science/ Computer Science & Engg.	3 Years
6	Electrician	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Electrical Engg.	3 Years
7	Mechanic (Radio & TV)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Electronic Tele. comm/ Electronics.	3 Years
8	Electronic Mechanic	2 years	Passed Matriculation examination under 10+2 system of education Science and Mathematics or its equivalent.	Electronic Tele. comm/ Electronics.	3 Years
9	Mechanic Medical Electronics	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Mathematics & Science or its equivalent.	Electronic Tele. comm/ Electronics.	3 Years
10	Information Technology & Electronics	2 year	Passed in 10th class Examination under 10+2 system of	Information Technology/ Electronics/	3 Years

Sl.	Trades in ITIs & ITCs			Course/Branch in Polytechnics	
	System Maintenance		education with minimum 60% marks in Maths & Science put together. Desirable- 12^{th} class with Maths and Physics.	Electronics & Tele Communication	
11	Fitter	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
12	Turner	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
13	Machinist (Composite)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
14	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)	3 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
15	Machinist (Grinder)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
16	Electroplater	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg.	3 Years
17	Instrument Mechanic	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science as one of the subjects or its equivalent.	Electronics & Instrumentation Engg.	3 Years
18	Draughtsman (Mechanical)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science and	Mechanical Engg.	3 Years

Sl.	Trades in ITIs & ITCs			Course/Branch in Polytechnics	
			Mathematics or its equivalent.		
19	Mechanic (Motor Vehicle)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.	Mechanical Engg./ Automobile Engg.	3 Years
20	Mechanic (Refrigeration and Air-Conditioner)	2 years	Passed 10th class examination under 10+2 system of education with Science & Mathematics or its equivalent.	Mechanical Engg./ Refrigeration & Air-condition Engg	3 Years

परिशिष्ट–दो

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH

DISTRIBUTION OF SEATS IN DIPLOMA (LATERAL ENTRY) COURSE FOR THE SESSION 2011-2012

AUTONOMOUS, GOVERNMENT AND GOVT. AIDED INSTITUTIONS			
Sr	**Institute Name**	**Branch**	**Total Seats**
1	Alirajpur	ET	12
	Alirajpur	Civil	12
2	Anuppur	ET	12
	Anuppur	Comp	12
3	Ashoknagar	Civil	12
	Ashoknagar	Elect	12
	Ashoknagar	ET	12
	Ashoknagar	Mech	12
4	Badwani	Comp	12
	Badwani	IT	6
	Badwani	Civil	6
	Badwani	Refrigeration and Air Conditioning	6
5	Balaghat	Civil	12
	Balaghat	Comp	12
	Balaghat	Elect	12
	Balaghat	Mech	12
6	Betul	Comp	12
	Betul	Elect	12
	Betul	ET	12
	Betul	Mech	12
7	Bhind Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
8	Bhopal GWP	Comp	12
	Bhopal GWP	ET	12
	Bhopal SVP	Civil	12
	Bhopal SVP	Comp	11
	Bhopal SVP	Elect	13
	Bhopal SVP	ET	13
	Bhopal SVP	IT	11
	Bhopal SVP	Mech	12
9	Burhanpur Poly [Special Co-Ed]	Civil	6
	Burhanpur Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
	Burhanpur Poly [Special Co-Ed]	ET	12
	Burhanpur Poly [Special Co-Ed]	Mech	6
10	Chhindwara Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
	Chhindwara Poly [Special Co-Ed]	EEE	6
11	Dabra	Comp	12
	Dabra	Elect	12
12	Damoh	Civil	12

	Damoh	Comp	12
	Damoh	Elect	12
	Damoh	ET	12
	Damoh	Mech	12
13	Datia	ET	12
	Datia	Elect	12
14	Dewas	Mech	12
	Dewas	ET	12
15	Dhar	Comp	12
	Dhar	IT	12
16	Dindori	Civil	12
	Dindori	Comp	12
17	Gwalior BRA	Civil	12
	Gwalior BRA	Comp	12
	Gwalior BRA	Elect	12
	Gwalior BRA	IT	12
	Gwalior BRA	Mech	12
18	Gwalior GWP	Comp	12
	Gwalior GWP	IT	12
19	Harda	Civil	12
	Harda	Comp	12
	Harda	Elect	12
	Harda	Mech	12
20	Indore SV	Civil	12
	Indore SV	Comp	12
	Indore SV	Elect	12
	Indore SV	ET	12
	Indore SV	Mech	12
21	Indore WP	Comp	12
22	Jabalpur GWP	Comp	12
	Jabalpur GWP	ET	12
23	Jabalpur KN	Civil	12
	Jabalpur KN	Comp	11
	Jabalpur KN	Elect	12
	Jabalpur KN	ET	12
	Jabalpur KN	IT	11
	Jabalpur KN	Mech	12
	Jabalpur KN	Automobile Engg	12
24	Jaora	Civil	12
	Jaora	Comp	12
	Jaora	Elect	12
	Jaora	Mech	12
25	Jawad	ET	12
	Jawad	Mech	12
26	Katni	Mech	12

	Katni	Comp	12
27	Khandwa	Civil	12
	Khandwa	Comp	12
	Khandwa	Elect	12
	Khandwa	ET	12
	Khandwa	Mech	12
	Khandwa	Refrigeration and Air Conditioning	12
28	Khargone Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
	Khargone Poly [Special Co-Ed]	ET	12
	Khargone Poly [Special Co-Ed]	IT	12
29	Khirsadoh	Civil	12
	Khirsadoh	Comp	12
	Khirsadoh	Elect	12
	Khirsadoh	ET	12
	Khirsadoh	Mech	12
30	Khurai	Civil	12
	Khurai	Elect	12
	Khurai	Mech	12
31	Mandsaur	ET	12
	Mandsaur	Comp	12
32	Morena	Comp	2
	Morena	ET	2
	Morena	Elect	2
	Morena	Mech	2
33	Narsinghpur Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
	Narsinghpur Poly [Special Co-Ed]	ET	12
34	Nowgong	Civil	12
	Nowgong	Comp	12
	Nowgong	Elect	12
	Nowgong	ET	12
	Nowgong	Mech	12
35	Pachore	Elect	12
	Pachore	Mech	12
36	Panna Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
37	Raghogarh	EI	12
38	Raisen	ET	12
	Raisen	Civil	12
39	Rewa	ET	12
40	Sagar Poly [Special Co-Ed]	Comp	12
	Sagar Poly [Special Co-Ed]	ET	12
41	Sanawad	Civil	12
	Sanawad	Comp	12
	Sanawad	Elect	12

	Sanawad	ET	12
	Sanawad	Mech	12
42	Satna	Comp	12
	Satna	Elect	12
	Satna	Mech	12
43	Seoni	Civil	12
	Seoni	Comp	12
	Seoni	Elect	12
	Seoni	Mech	12
44	Shahdol	Civil	12
	Shahdol	Comp	12
	Shahdol	Elect	12
	Shahdol	Mech	12
45	Shajapur	Elect	12
	Shajapur	Mech	12
46	Sheopur	Mech	12
	Sheopur	Comp	12
47	Shivpuri	ET	12
	Shivpuri	Comp	12
48	Sidhi	ET	12
	Sidhi	Comp	12
49	Tikamgarh	Comp	12
	Tikamgarh	Mech	12
50	Ujjain	Comp	12
	Ujjain	Elect	12
	Ujjain	ET	12
	Ujjain	IT	12
	Ujjain	Mech	12
51	Umaria	Mech	12
	Umaria	Elect	12
52	Vidisha SATI	Civil	12
	Vidisha SATI	Comp	12
	Vidisha SATI	Elect	12
	Vidisha SATI	ET	12
	Vidisha SATI	IT	12
	Vidisha SATI	Mech	12
	Vidisha SATI	Automobile Engg	12
53	Waidhan	Comp	12
	Waidhan	Elect	12
	Waidhan	Mech	12
	Waidhan	Civil	9
	Waidhan	ET	12
		TOTAL	**1935**

PRIVATE INSTITUTIONS

Sr.	**Institute Name**	**Branch**	**Intake**
54	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	Civil	12
	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	Comp	12
	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	ET	12
	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	IT	12
	RAMNATH SINGH INST OF TECH & SC, GWALIOR	MECH	12
		Total	60
		GRAND TOTAL	**1995**

प्रारूप—1

प्रमाण—पत्रों के प्रारूप
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:	....
पिता का नाम	:	....
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:	....
धर्म	:	....
व्यवसाय	:	....
पता	:	....
		....
		....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि —

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला........................(म.प्र.) के लिये घोषित ....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक..................................को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी — जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अध्याय–3

<u>प्रारूप–2 (अ)</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
पिता/पति का नाम...
निवासी ग्राम/नगर.................................... वि.खं... तहसील......................................
जिला... संभाग.. के...
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी...
पिता/पति का नाम..अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   हस्ताक्षर
(सील)   प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
                                    पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप–2 (ब)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक......................................   प्रकरण क्रमांक..........................
प्रमाण पत्र क्रमांक................................

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..
पिता/पति का नाम...
निवासी ग्राम/नगर.................................... वि.खं.. तहसील.......................................
जिला... संभाग.. के..
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक..पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी..
पिता/पति का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....   हस्ताक्षर
(सील)   प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
                                    पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप–3 (अ)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला...मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक... प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पुत्री श्री...
निवासी ग्राम/शहर.. तहसील.................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.. और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.. संभाग.................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप–3 (ब)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक... प्रकरण क्रमांक..
प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..
पुत्र / पुत्री श्री...
निवासी ग्राम / शहर... तहसील.................................... जिला.............................
..मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री.. और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला... संभाग................................. में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.. क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380 / 2 / 22 / 93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्य प्रदेश शाासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26 / 93 / 1– आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती / कुमारी.. के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक .... हस्ताक्षर
(सील) प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप—4

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक..........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री..जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष.................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र / छात्रा के रूप में इस संस्था.. ....(संस्था का नाम) में सत्र.......................................से सत्र.......................................तक अध्ययन किया है।

स्थान : .... संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

दिनांकः .... नाम एवं पद..

(कार्यालय सील)

प्रारूप–5

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...
आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री.. जो तहसील...................................
जिला...मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है

अथवा

2. वह / उसका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से ..कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है। इसेक अतिरिक्त
   1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

      अथवा

   2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

      (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा
      (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान : ....   प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः ....   (कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप–6

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष.......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती..का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो..विभाग में...पद पर ....(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो..विभाग में...पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ....(तिथि) को इस विभाग से सेवा निव्त्त हुएं।

अथवा

(ग) जो..विभाग में...पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए...............................(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो..विभाग में...पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान : ....   कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांकः ....   (कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–7</u>

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................   दिनांक.........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री..जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)...वर्ष............................. ....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री / श्रीमती...का / की पुत्र / पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2011 अथवा उसके पूर्व की तिथि............................... से मध्यप्रदेश में स्थित.......................... ....विभाग में...पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन / सार्वजनिक उपक्रम का / की कर्मचारी है।

स्थान : ....   कार्यालय प्रमुख / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....

दिनांकः ....   नाम एवं पद...

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप–8</u>

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. दिनांक..........................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष....................... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)...पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती...का/की पुत्र/पुत्री है, जो.. योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (त्मेमजजसमउमदज`बीमउम) है।

स्थान : .... हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांकः .... (कार्यालय सील)

प्रारूप–9

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियो के लिये प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/श्री .... ने वर्ष ....की .... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित .... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में .... स्वर्ण पदक अर्जित किया है ।

स्थान ....   संचालक
दिनांक ....   खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :– ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नही माना जावेगा ।